

अवलोकन किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि पुलिस थाना काछोला के पत्रांक/2272 दिनांक 18.09.2025 से प्रेषित मुकदमा नं. 74/25 धारा 3,5,6,8 गौवंश प्रतिषेध अधि० 1955 के तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार मुल्जिम गोविन्दा शर्मा पिता धर्मवीर शर्मा निवासी मैनिया पंटी मुख्य बाजार वार्ड नम्बर 8 बिवां तहसील फिरोजपुर झिरका थाना सदर फिरोजपुर झिरका जिला चुंह (मेवात)हरियाणा के विरुद्ध धारा 3,5,6,8 गौवंश प्रतिषेध अधि. 1955 का अपराध होना प्रमाणितशुदा हैं। जिससे प्रार्थी का वाहन सुपुर्दगी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 503 बीएनएसएस अग्राह्य एवं सारहीन होने से अस्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतएव-

आदेश

प्रार्थी का वाहन सुपुर्दगी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 503 बीएनएसएस अग्राह्य एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Dr.
25.9.25
(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा